भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1864

उत्तर देने की तारीख 17.03.2025

आरएएमपी योजना की प्रगति

1864. **श्री रविचंद्र वद्दीराजूः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, और इस योजना से अब तक कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या यह योजना एमएसएमई को विलंबित भुगतानों की समस्या को हल करने में प्रभावी रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के कार्यान्वयन में तेलंगाना राज्य सहित राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) योजना के तहत एमएसएमई के लिए प्राप्य वित्तपोषण बाजार को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन" (रैम्प) का शुभारंभ 30 जून, 2022 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। रैम्प स्कीम का प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई की ऋण, बाजार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना है। इस दिशा में, एमएसएमई मंत्रालय ने स्कीम में भाग लेने के लिए सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया है। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों में से, 34 राज्यों ने राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्रियाकलापों सहित कार्यनीतिक निवेश योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इन 34 राज्यों के लिए 2966 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की भागीदारी के अलावा, मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लाभ हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थिरता को बढ़ावा देने, चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, ई-कॉमर्स अपनाने को बढ़ावा देने और विलंबित भुगतानों के त्वरित समाधान के लिए चार नई उप-स्कीमें शुरू की हैं। रैम्प कार्यक्रम का लक्ष्य 5.55 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लाभान्वित करना है तथा मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 4.34 लाख एमएसएमई इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं।

(ख) रैम्प विलंबित भुगतान की समस्या से निपटान के लिए ट्रेडस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करता है। उठाए गए विभिन्न कदम भाग (घ) में उल्लिखित हैं।

(ग) तेलंगाना सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रैम्प स्कीम में भाग लेने में गहरी रुचि दिखाई है। एमएसएमई मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पहलों के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी है। मंत्रालय इन पहलों के कार्यान्वयन में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त प्रदान करता है और सहायता करता है। क्रियाकलापों की नियमित निगरानी की जा रही है।

(घ) एमएसएमई के लिए प्राप्य वित्तपोषण बाजार को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क. एमएसएमई मंत्रालय ने नवंबर, 2024 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें 250 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली कंपनियों को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।

ख. रैम्प के तत्वावधान में, ट्रेड्स तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ट्रेड्स पर एक टास्कफोर्स का गठन किया गया है। टास्कफोर्स ने ट्रेड्स पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने, ट्रेड्स पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को शामिल करके ट्रेड्स के विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायक रही है। एमएसएमई को विलंबित भुगतान की रिपोर्टिंग में सुधार के लिए एमएसएमई फॉर्म-1 के संशोधन में भी टास्कफोर्स सहायक रही है।

ग. भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का विस्तार इस प्रकार किया है:

(i) बीमा कंपनियों को भागीदार के रूप में कार्य करने की अनुमति देना,
(ii) प्लेटफार्मों पर वित्तपोषकों के पूल का विस्तार करना,
(iii) फैक्टरिंग इकाइयों के लिए द्वितीयक बाजार को सक्षम बनाना,
(iv) फैक्टरिंग इकाइयों का निपटान अनुमत है, जो छूट/वित्तपोषित नहीं हैं
(v) ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को फैक्टरिंग इकाइयों (एफयू) के लिए रखी गई बोलियों का विवरण अन्य बोलीदाताओं को प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई ।

घ. मंत्रालय ने एमएसएमई और गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के लिए ट्रेड्स पर शामिल होने और लेनदेन के लिए 15 जागरूकता अभियान आयोजित किए हैं।
